स्वच्छता और तकनीक में सिथौली रेल स्प्रिंग कारखाने ने रचा इतिहास

नवभारत न्यूज

अप्रैल में 12 हजार घंटे का रिकॉर्ड श्रमदान, किले से हटाया 10 ट्रक प्लास्टिक कचरा

ग्वालियर 8 मई. रेल स्प्रिंग कारखाना सिथौली ने अप्रैल माह में स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अनिल कुमार द्विवेदी एवं मुख्य कारखाना इंजीनियर राजेश कुमार जाटव के मार्गदर्शन में कर्मचारियों ने कुल 12,000 मैन-आवर्स का रिकॉर्ड श्रमदान कर कार्यस्थल की सूरत बदल दी।

ऐतिहासिक धरोहर की सफाई

विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में रेल कर्मचारियों ने पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर ग्वालियर किले पर विशेष सफाई अभियान चलाया। 18 और 25 अप्रैल को चलाए गए इस अभियान के दौरान किले से लगभग 10 ट्रक सिंगल-यूज प्लास्टिक कचरा साफ किया गया।

कारखाने में गीले कचरे से जैविक खाद बनाने के लिए 3 कम्पोस्ट पिट तैयार किए गए हैं। मियावाकी पद्धति और हर्बल गार्डन में 1500 पौधे लगाने

का लक्ष्य है, जिसमें से 600 पौधे ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ रोपे जा चुके हैं। कागज का उपयोग कम करने के लिए करीब 6 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है। कर्मचारियों ने साधना शपथ मॉड्यूल पूरा करने के साथ ही रेलवे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।मुख्य कारखाना प्रबंधक शिवाजी कदम के नेतृत्व में संपन्न इन कार्यों में उप मुख्य यांत्रिक अभियंता भानु प्रताप सिंह सहित आर.के. हनौते और धनंजय रहालकर का विशेष योगदान रहा।

बरसात से पहले ठीक करें शहर का सौंदर्य : दुबे

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 8 मई। अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने गुरुवार को ग्वालियर शहर में एलिवेटेड रोड निर्माण से क्षतिग्रस्त हुई सीवर लाइन, नाला सफाई व्यवस्था एवं

अपर मुख्य सचिव ने एलिवेटेड रोड, नाला सफाई और मल्टीलेवल पार्किंग का किया निरीक्षण

अधिकारियों को किया आगाह, जलभराव हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई

महाराज बाड़ा स्थित मल्टीलेवल कार पार्किंग का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बारिश से पहले सीवर संधारण एवं नालों की सफाई का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। यदि बारिश के दौरान शहर में जलभराव या सीवर ओवरफ्लो की समस्या सामने आई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन दिव्यांक सिंह, अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव व श्री प्रदीप तोमर सहित अन्य संबंधित अधिकारी

मौजूद रहे।

अपर मुख्य सचिव श्री दुबे ने सबसे पहले एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुई सीवर लाइन के संधारण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मरम्मत कार्य बारिश शुरू होने से पहले पूर्ण किए जाएं और कहीं भी सीवर लाइन ओवरफ्लो की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को परेशानी से बचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिये सर्वोच्च प्राथमिकता से सीवर समस्या का स्थायी समाधान समय पर सुनिश्चित करें। श्री दुबे ने नाला सफाई कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी प्रमुख नालों की सफाई अभियान स्तर पर कराई जाए, ताकि वर्षा के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

भ्रमण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने इसके बाद महाराज बाड़ा स्थित मल्टीलेवल कार पार्किंग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि अतिवर्षा के कारण भूजल स्तर बढ़ने से तलघर में पानी भर गया है। वर्तमान में तलघर में लगभग आठ फीट पानी जमा होने के कारण पार्किंग का उपयोग प्रभावित हो रहा है। इस पर श्री दुबे ने तलघर से निकल रहे पानी के सदुपयोग की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे इस पानी का उपयोग जनहित में किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव ने चेतकपुरी क्षेत्र के नाले एवं सड़क का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नाले के आसपास निर्माण सामने आने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित प्रकरण की फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

जूनियर को सुपरवाइजर बनाने पर अजाक्स ने कलेक्टर को दिया आवेदन

नवभारत न्यूज

मामला जगणना का, जाँच रिपोर्ट माँगी

ग्वालियर 8 मई. पुरानी छावनी ग्रामीण तहसील में जनगणना कार्य के लिए की गई नियुक्तियों में वरिष्ठता की अनदेखी का मामला सामने आया है। जूनियर शिक्षक को सुपरवाइजर और सीनियर शिक्षकों को उनके अधीन प्रगणक बनाए जाने की शिकायत पर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अजाक्स ग्वालियर के संभागीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जाटव ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि पुरानी छावनी ग्रामीण तहसील के तहसीलदार एवं चार्ज अधिकारी दिनेश चौरसिया एवं घाटीगांव बीआरसी शशिभूषण श्रीवास्तव द्वारा जनगणना कार्य के आदेश जारी किए। आदेश जारी किए गए जूनियर प्राथमिक शिक्षक संजीव चतुर्वेदी को सुपरवाइजर बना दिया गया। जबकि कई वरिष्ठ शिक्षकों जिनमें हाकिम सिंह, लक्ष्मीनाराण और कई प्रभारी प्रधानाध्यापकों को उनके नीचे प्रगणक के रूप में नियुक्त कर दिया गया।

अजाक्स नेता श्री जाटव ने इसे भेदभाव बताया और आवेदन मे जाँच की माँग की है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठता के आधार पर सूची में सुधार कर सीनियर को सुपरवाइजर नियुक्त किया जाए। कलेक्टर ने आज संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच कर जल्द प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। जाँच रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि इस भेदभाव के लिए कौन अधिकारी दोषी है।

कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर कार्यपालन यंत्री पीएचई गुप्ता निलंबित

ग्वालियर। संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर नगर निगम के कार्यपालन यंत्री पीएचई संजीव गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। संभाग आयुक्त द्वारा किए गए आदेश के अनुसार गुप्ता द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बढ़ती गई है तथा 20 अप्रैल को आयुक्त नगरिय प्रशासन द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में कार्यपालन यंत्री संजीव गुप्ता की लापरवाही सामने आई थी, जिसको लेकर गुप्ता को आज निलंबित किया गया है।

बीएड, डीएलएड सहित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रवेश तिथियां जारी

ग्वालियर 8 मई। राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय-सारणी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र की वेबसाइट rsk.mponline.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार एम.एड., एम.ए. मनोविज्ञान (व्यवहारिक), पी.जी.डी.जी.सी., बी.एड., डी.एल.एड., डी.पी.एस.ई. एवं पी.जी.डी.ई.एल.टी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में होगी। प्रवेश प्रक्रिया प्रदेश के प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, मनोविज्ञान शिक्षा एवं संदर्शन महाविद्यालय जैसी प्रदेश की विभिन्न शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए होगी।

प्रवेश कार्यक्रम की तिथियां

डी.एल.एड. - 15 मई से 14 अगस्त 2026, बी.एड. -25 मई से 27 जुलाई 2026, एम.एड. - 1 जून से 30 जुलाई 2026, पी.जी.डी.ई.एल.टी. - 3 जून से 22 जून 2026 तक, डी.पी.एस.ई. - 8 जून से 31 जुलाई 2026 तक, एम.ए. मनोविज्ञान एवं पी.जी.डी.जी.सी. - 8 जून से 31 जुलाई 2026 तक

नाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है। कि मैं किरण बाला सोनकर पत्नी श्री जय प्रकाश सोनकर निवासी पेट्रोल पंप के पास तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.) यह कि मुझ प्रार्थिनी का विवाह के पूर्व नाम किरण बाला **KIRAN BALA** अंकित है। किन्तु अब मैने विवाह के उपरांत अपना नाम **किरण बाला KIRAN BALA** के स्थान पर **किरण बाला सोनकर KIRAN BALA SONKAR** रख लिया है। अतः अब मुझे भविष्य में **किरण बाला सोनकर KIRAN BALA SONKAR** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जायें।

प्रार्थिनी
नाम किरण बाला सोनकर पत्नी श्री जय प्रकाश सोनकर निवासी पेट्रोल पंप के पास तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, प्रमोद कुमारी देवी पति श्री नर सिंह तोमर निवासी : जनता 286 दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) मेरे अधार कार्ड व पेन कार्ड तथा वोटर कार्ड में मेरा नाम प्रमोद कुमारी देवी दर्ज हैं । मेरे पति के पी.पी.ओ. दस्तावेजों में मेरा नाम चन्दा तोमर अंकित है । में प्रमोद कुमारी देवी व चन्दा देवी तथा चन्दा तोमर उक्त तीनों नाम एक ही व्यक्ति के है तथा मुझे तीनों नामों से जाना व पहचाना जाता है मेरे पति के उक्त पी.पी.ओ. रिकॉर्ड में अपना नाम चन्दा तोमर के स्थान पर प्रमोद कुमारी देवी दर्ज कराना है। इस सूचना हेतु शपथ पत्र न. BX 861388 प्रस्तुत है ।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, राजीव सिंह, पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी : ग्राम पार्थ का पुरा, अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.) यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम ऋषभ सिंह (RISHABH SINGH) अंकित हैं जिसमें त्रृटि हो गई है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम व वास्तविक नाम ऋषभ सिंह (RISHBH SINGH) हैं जो आधार कार्ड व मेरे आर्मी रिकॉर्ड में अंकित है जबकि मेरे पुत्र के स्कूल दस्तावेजों में उसकी माता का नाम रश्मी भदौरिया (RASHMI BHADORIYA) सरनेम में त्रृटि हो गई है जबकि उसकी माता का सही व वास्तविक नाम रश्मी देवी (RASHMI DEVI) है जो कि उनके आधार कार्ड व मेरे आर्मी रिकॉर्ड में भी अंकित है । अतः मेरी पुत्र के स्कूल दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम ऋषभ सिंह (RISHBH SINGH) व माता का नाम रश्मी देवी (RASHMI DEVI) सही नाम दर्ज हो। इस सूचना हेतु शपथ पत्र न. BX 371275 प्रस्तुत है

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, राजीव सिंह, पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी : ग्राम पार्थ का पुरा, अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.) यह घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री रितिका के स्कूल के दस्तावेजों में उसका का नाम रितिका तोमर (RITIKA TOMAR) अंकित है जबकि मेरी पुत्री का सही नाम रितिका (RITIKA) है जो उसके आधार कार्ड व मेरे आर्मी रिकॉर्ड में अंकित हैं । एवं उसकी माता का नाम रश्मी भदौरिया (RASHMI BHADORIYA) तथा मेरा नाम राजीव सिंह तोमर (RAJIV SINGH TOMAR) जिसमें सरनेम में त्रृटि हो गई है जबकि उसकी माता का सही व वास्तविक नाम रश्मी देवी (RASHMI DEVI) तथा मेरा सही नाम राजीव सिंह (RAJIV SINGH) हैं जो कि आधार कार्ड अनुसार अंकित है । अतः मेरी पुत्री के स्कूल दस्तावेजों में मेरी पुत्री का सही नाम रितिका (RITIKA) व माता का नाम रश्मी देवी (RASHMI DEVI) तथा मेरा सही नाम राजीव सिंह (RAJIV SINGH) दर्ज हो। इस सूचना हेतु शपथ पत्र न. BX 371276 प्रस्तुत है

CHANGE OF NAME

I, **Kailash Manjhi S/o Asharam Raikwar** R/o New Tulsi Vihar Colony, Sewa Nagar, Gird, Gwalior (M.P.) - 474003 Do Hereby Solemnly Affirm And Declare As follows: - That I Am The Citizen Of India. That I Want to Change of Name **KAILASH MANJHI**, Aged 44 Years. That For Reasons of Mistek In Adhar Card, It is Necessary to Change The Name From **KAILASH MANJHI** to **KAILASH RAIKWAR**. That Henceforth, For All Legal and Official Purposes, Shall Be Known By The **KAILASH RAIKWAR**.That This Affidavit is Made For The Purpose Of Registering The Change Of Name And For All Other Lawful Purposes. That it is My True And Correct Statement.Vide affidavit No. BX 342841 Date 07.05.2026

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) -462004

आम-सूचना

क्रमांक 422/म.प्र.रा.कर्म आ नि/2026
भोपाल दिनांक 29/04/2026

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम की महलगांव जिला-ग्वालियर आवासीय योजना में स्थित भूखण्ड क्रमांक 64 आकार 162.00 वर्गमीटर निगम द्वारा श्रीमती श्रद्धा सक्सेना पति श्री विजय सक्सेना के नाम पर आवंटित है। उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 25.07.2001 को पंजीकृत है। श्रीमती श्रद्धा सक्सेना पति श्री विजय सक्सेना द्वारा उक्त संपत्ति श्रीमती उमा पाराशर पति श्री मनोज पाराशर एवं श्रीमती सपना पाराशर पति श्री मनीष पाराशर को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनाक 24.08.2009 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है।

क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, परिचय पत्र एवं विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्रीमती उमा पाराशर पति श्री मनोज पाराशर एवं श्रीमती सपना पाराशर पति श्री मनीष पाराशर के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रुप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निगम नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कर्मचारी आवास निगम भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम विंध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) -462004

आम-सूचना

क्रमांक 421/म.प्र. रा. कर्म आ नि/2026
भोपाल दिनांक 29/04/2026

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम की महलगांव जिला-ग्वालियर आवासीय योजना में स्थित भूखण्ड क्रमांक 115 आकार 198.00 वर्गमीटर निगम द्वारा श्रीमती तारा सक्सेना पति श्री एन.सी. सक्सेना के नाम पर आवंटित है। उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 29.05.2000 को पंजीकृत है। श्रीमती तारा सक्सेन पति श्री एन.सी. सक्सेना द्वारा उक्त सपत्ति श्रीमती ऋतु भारद्वाज पति श्री आशीष कटारे एवं श्री बृजकिशोर कटारे पिता श्री मुन्ना लाल कटारे को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनाक 28 10.2022 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है।

क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र परिचय पत्र एवं विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए उक्त संपति श्रीमती ऋतु भारद्वाज पति श्री आशीष कटारे एवं श्री बृजकिशोर कटारे पिता श्री मुन्ना लाल कटारे के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर लिखित रुप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं निगन नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कर्मचारी आवास निगम भोपाल

न्यायालय- देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 968/2025 एच.एम.ए

श्रीमती अंजली राठौर
.........आवेदिका
बनाम
भास्कर पाराशर
.....अनावेदक

बनाम- भास्कर पाराशर पुत्र श्री नरेन्द्र पाराशर आयु 34 वर्ष, व्यवसाय- डेंटिस्ट एवं जिम, निवासी बंटी शर्मा की बिल्डिंग, अंजली किराना स्टोर अनुपम नगर, एक्सटेंशन-2 गोविंदपुरी ग्वालियर म.प्र.

\\सूचना पत्र

यहकि, आवेदिका श्रीमती अंजली राठौर पत्नी श्री भास्कर पाराशर पुत्री स्व. श्री नारायण दास राठौर आयु 33 वर्ष, व्यवसाय प्रायवेट नौकरी निवासी 41 बैंकर्स कॉलोनी ठाटीपुर ग्वालियर म.प्र. के द्वारा आपके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष याचिका अन्तर्गत धारा 13 एच.एम.ए के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अतः जरिये सूचना पत्र से आप अनावेदक भास्कर पाराशर को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अपना जवाब इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 16/06/2026 को प्रातः 11:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्ध वैद्यानिक/एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यदि नियत दिनांक को न्यायालय अवकाश घोषित हो जाता हैं अथवा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते हैं तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस पर की जावेगी। आज दिनांक 30/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(न्यायालय की मुद्रा)

(डी.पी.एस गौर)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर म.प्र.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

प्रकरण क्रमांक/0115/अ-6अ/-2019-20 371
पोहरी दिनांक 06/5/26

बुद्धराम पुत्र राजाराम किरार नि.ग्राम गाजीगढ़ तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी म.प्र............. आवेदक
बनाम
म.प्र. शासन...........अनावेदक

एतद् द्वारा आवेदक/अनावेदक को सूचित किया जाता है कि तहसील बैराड़ में स्थित ग्राम मारौद के भूमि सर्वे न. 501 रकवा 1.00 हे. भूमि का इस न्यायालय में दुरुस्ती का प्रकरण प्रचलित है। अतः तहसील बैराड़ में स्थित ग्राम मारौद के भूमि सर्वे नं. 501 रकवा 1.00 हे. भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में समय प्रातः 11:00 बजे दिनांक 14/5/26 प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

(अनुपम शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 स्थान राधा विहार ग्व. में स्थित है जो कि सुरेश बाथम/नत्था सिंह बाथम नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक900023535 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ... दिनांक ... से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 08-5-2026
गुडडी/मुकेश गोले
पता : राधा विहार, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-7974580084

संबंध विच्छेद एवं बेदखली की आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं प्रहलाद सिंह कुशवाह पुत्र मलफूल कुशवाह निवासी खरई जालिम तहसील बैराड़, मेरे तीन पुत्र है जिसमे में अपने पुत्र महेंद्र कुशवाह से पारिवारिक संबंध विच्छेद करता हूं। जारी सूचना दिनांक से महेंद्र कुशवाह का मेरे पक्षकार के परिवार एवं चल-अचल संपत्ति, जमीन-जायदाद सर्वे नंबर 113, 174, 355, 479, 518, 825, 889, 1060, 1062, 1064, 1067, 824 से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। अतः भविष्य में यदि महेंद्र कुशवाह द्वारा किसी प्रकार का लेन-देन, उधारी या अन्य कार्य किया जाता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं महेंद्र कुशवाह की होगी। मेरा एवम मेरे परिवार का उससे कोई लेना-देना नहीं रहेगा। साथ ही महेंद्र कुशवाह को हमारी समस्त जमीन-जायदाद एवं संपत्ति से बेदखल किया जाता है।

दिनांक-09/04/2026
स्थान- पोहरी

नाम- प्रहलाद सिंह कुशवाह
पिता- मनफूल कुशवाह
पता - खरई जालिम, बैराड़
द्वारा
नरेंद्र वर्मा, एडवोकेट
पोहरी जिला शिवपुरी

नाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है। कि मैं गौरी सांखला पत्नी श्री हर्षद सांखला निवासी A ब्लॉक, आनंद नगर, बहोड़ापुर ग्वालियर, (म.प्र.) यह कि प्रार्थिनी का विवाह के पूर्व नाम गौरी राज चौहान **GOURI RAJ CHOUHAN** अंकित है। किन्तु अब मैने विवाह के उपरांत अपना नाम गौरी राज चौहान **GOURI RAJ CHOUHAN** के स्थान पर गौरी सांखला **GOURI SANKHLA** रख लिया है। अतः अब मुझे भविष्य में गौरी सांखला **GOURI SANKHLA** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जायें।

प्रार्थिनी
नाम गौरी सांखला पत्नी श्री हर्षद सांखला निवासी A ब्लॉक, आनंद नगर, बहोड़ापुर ग्वालियर, (म.प्र.)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान कृष्णा कुशवाह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह कुशवाह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की एक अचल संपत्ति जिसका नगर निगम भवन क्र. 1813, पोतदार हॉस्पिटल के पास, आमखो तहसील एवं जिला ग्वालियर की होकर जिसकी चतुसीमा:- पूर्व में- मकान नाथू सिंह कुशवाह, पश्चिम में- मकान कुम्हार पाल कुशवाह, उत्तर में- 6 फुट की गली के बाद मंदिर, दक्षिण में- मकान सुरेश कुशवाह व कुल क्षेत्रफल 423 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान देवीलाल पुत्र श्री काशीराम के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की थी। तत्पश्चात श्रीमान देवीलाल पुत्र श्री काशीराम द्वारा श्रीमान सीताराम पुत्र श्री धनीराम को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र विलेख सरल क्रमांक. 448 एवं ग्रंथ क्रमांक1437 व पुस्तक क्रमांक1-A एवं दिनांक 04.02.1970 से विक्रय की गई, जिसमें श्रीमान सीताराम के फौत उपरांत उनके क़ानूनी वारिस अर्थात केवल श्रीमान रामसेवक, हुकूम सिंह, कुम्हार पाल, चंदन सिंह एवं रूपसिंह के नाम नगर निगम ग्वालियर में दर्ज हुए एवं जिसमें श्रीमान रूपसिंह कुशवाह के फौत उपरांत उनके क़ानूनी वारिस अर्थात केवल श्रीमती लता कुशवाह (पत्नी), श्रीमान कृष्णा कुशवाह (पुत्र) के नाम नगर निगम ग्वालियर में दर्ज हुए। तत्पश्चात, श्रीमती लता कुशवाह पत्नी स्व. श्री रूपसिंह कुशवाह द्वारा श्रीमान कृष्णा कुशवाह पुत्र स्व. श्री रूप सिंह कुशवाह को ई-रजिस्टर्ड हक त्याग-पत्र विलेख दस्तावेज क्रमांक MP142602023A12601877 व दिनांक 29.11.2023 से हकत्याग किया गया। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत होकर बंधक किए जाना प्रस्तावित है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होंगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। **इति**

दिनांक : 08.05.2026

प्रेषक- **विशाल अग्रवाल** (अधिवक्ता)
कार्यालय- **'मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट'**
ग्राउंड फ्लोर यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नं. 2 के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर **मो. 9826820987**

आम सूचना

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय भू-खण्ड क्रमांक 44 का भाग जिसका क्षेत्रफल 720 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 526 राजस्व ग्राम सेंथरी का भाग होकर वार्ड क्रमांक 62, ग्राम सेंथरी, तहसील ग्वालियर ग्रमीण, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-प्लॉट क्रमांक 40, उत्तर में-प्लॉट क्रमांक 43 एवं प्लॉट क्रमांक 42 का शेष भाग, दक्षिण में-प्लॉट क्रमांक 44 का शेष भाग स्थित है, उक्त संपति को आवेदक **श्री रविन्द्र कुमार शासने पुत्र श्री जगराम शासने निवासी वार्ड क्रमांक 20, पुरानी बस्ती, भिण्ड, जिला भिण्ड, म.प्र.** ने सम्पत्ति स्वामी श्री सुदामा शर्मा पुत्र श्री मुंशीलाल शर्मा स्वंय एवं बहैसियत मुख्त्याआम श्री मुकेश शर्मा, श्री रामनरेश शर्मा पुत्रगण श्री मुंशीलाल शर्मा निवासीगण पटेल का पुरा ग्राम सेंथरी, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आई सी आई सी आई एचएफसी, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां ऋण के विरुद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, सर्वे क्रमांक 526 राजस्व ग्राम सेंथरी रकवा 1.076 हेक्टेयर भूमि को अनुबंधकर्तागण अन्य सह-स्वामी श्री रामनिवास शर्मा पुत्र श्री मुंशीलाल शर्मा के साथ बतौर सह-स्वामी धारण करते हैं तथा अनुबंधकर्तागण के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि के संबंध में अनुबंध का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 14 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।

दिनांक : 08/05/2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय - ओशो ध्यान केन्द्र के पास, पटेल नगर, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय - प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

श्रीमती ममता शिवहरे पत्नी श्री द्वारिका शिवहरे के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित जम्बुरखाना, नगर लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.53 में स्थित है एवं जिसका क्षेत्रफल 447.93 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में-भवन हरी सिंह, पश्चिम में-रास्ता 9 फुट चौड़ा, उत्तर में-भवन राजकपूर एवं दक्षिण में-भवन का शेष भाग संजय अग्रवाल है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती सांताबाई पत्नी स्व. श्री श्यामराव जाधव के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्रीमती सांताबाई द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती आशा साल्वी पत्नी श्री आनंद साल्वी के हित में नोटराईज्ड वसीयतनामा विलेख दिनांक 13.10.1988 को सम्पादित किया गया। श्रीमती सांताबाई का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, वसीयतनामा विलेख दिनांक 13.10.1988 के अनुसार, श्रीमती आशा साल्वी पत्नी श्री आनंद साल्वी उनकी सम्पत्ति की मालिक हुई। श्रीमती आशा साल्वी द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्री आनंद साल्वी पुत्र स्व. श्री जनार्दन साल्वी के हित में नोटराईज्ड वसीयतनामा विलेख दिनांक 04.06.2009 को सम्पादित किया गया। श्रीमती आशा साल्वी का स्वर्गवास दिनांक 31.07.2009 को हो जाने के उपरांत, वसीयतनामा विलेख दिनांक 04.06.2009 के अनुसार, श्री आनंद साल्वी पुत्र स्व. श्री जनार्दन साल्वी उनकी सम्पत्ति की मालिक हुये। श्री आनंद साल्वी द्वारा सम्पत्ति 1346 वर्गफुट एरिया श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री देशबहादुर सिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2148 दिनांक 12.11.2013 से विक्रय की गई। श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सम्पत्ति 895.86 वर्गफुट एरिया श्रीमती संतोषी अग्रवाल पत्नी श्री संजय अग्रवाल एवं श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री चंद्रभान अग्रवाल को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2373 दिनांक 15.10.2014 से विक्रय की गई। श्रीमती संतोषी अग्रवाल एवं श्री संजय अग्रवाल द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती ममता शिवहरे पत्नी श्री द्वारिका शिवहरे को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी142602020ए1503547 दिनांक 22.08.2020 से विक्रय की गई। श्रीमती ममता शिवहरे द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्रीमती सांताबाई एवं श्रीमती आशा साल्वी के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 14 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हों।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 21 वार्ड क्रमांक 54 स्थान कम्पू रोड ग्व. में स्थित है जो कि भावना दुबे/राजेश दुबे नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000195213,1000232890 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1300 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मृत्यु उपरांत दिनांक ... से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ऑमखो दिनांक 08/05/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन पत्र संख्या-26010100006953 उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र.205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 08-5-2026
आदर्श दुबे/ राजेश दुबे
पता : कम्पू रोड, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-9424880100

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 21 वार्ड क्रमांक 52 स्थान गुढा ग्व. में स्थित है जो कि सुल्तानी/ मंजूर खां नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक1002767642 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 413 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ... दिनांक ... से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ऑमखो दिनांक 08/05/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन पत्र संख्या-26010100006973 उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 08-5-2026
कमरूनिशा/नवाब खाँ, नवाब खाँ/अली शेर खाँ
पता : गुढा, ग्वालियर(म.प्र.)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
कॉनकॉर CONCOR
NSIC New MDBP Building, 3rd Floor, Okhla Indl. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य हेतु एकल पैकेट प्रणाली के अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रित करता है :-

निविदा क्रमांक	CON/Area-II/EP/ICD-Mandideep/E-11129/2026-27
कार्य का नाम	आईसीडी-मंडीदीप (भोपाल)में लगभग 7,600 वर्गमीटर कच्चे यार्ड क्षेत्र का एम-50 सीसी ब्लॉक पेवमेंट सहित विकास कार्य।
अनुमानित लागत	₹411.49 लाख (जीएसटी सहित)
पूर्ण होने की अवधि	06 (छह) महीने
बयाना राशि (ईएमडी)	₹3,55,745.00 (केवल रुपये तीन लाख पचपन हज़ार सात सौ पैंतालिस)
निविदा दस्तावेज की लागत (अप्रतिदेय)	शून्य
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय)	₹3540/- (ई-भुगतान के माध्यम से समस्त करों एवं शुल्कों सहित)
निविदा बिक्री की तिथी (ऑनलाइन)	09.05.2026 (15:00 बजे) से 02.06.2026 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तारीख और समय (ऑनलाइन)	03.06.2026 पर 17:00 बजे तक
निविदा खुलने की तारीख और समय (ऑनलाइन)	04.06.2026 पर 15:00 बजे तक

वित्तीय पात्रता मानदंड, समान प्रकृति के कार्यों के अनुभव आदि के संबंध में विस्तृत निविदा सूचना हेतु कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें। लेकिन पूरा निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस निविदा से संबंधित यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट जारी किया जाता है, तो वह केवल website www.concorindia.co.in. www.tenderwizard.com/CCIL तथा केंद्रीय खरीद पोर्टल (CPP) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में पृथक प्रेस विज्ञापन नहीं किया जाएगा।

समूह महाप्रबंधक (परियोजनाएं)
फोन नं.: 011-41222500

उत्तर मध्य रेलवे

क्रमांकः-झाँसी/टी.डी./ड्रा.से./टेन्डर/नोटिस/149 दिनांकः 06.05.2026

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये वरिष्ठ मंडल विद्युत इन्जी. (कर्षण वितरण) झाँसी के निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन; (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।

ई-निविदा सूचना संख्याः झाँसी-टी.डी.-टेन्डर-2026-08, **कार्य का नामः** झाँसी मंडल के झाँसी-बीना खण्ड में बुढ़पुरा स्टेशन पर 3rd लाइन पर Longer loop लाइन के संबंध में ओ.एच.ई. मोडिफिकेशन का कार्य।

अनुमानित लागत (₹): 67,01,503.99 | **अमानत राशि/बिड सिक्योरिटी (₹):** 1,34,000.00

निविदा बन्द होने की तिथि : 29.05.2026, 15:00 pm.

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथिः 09 माह।

(1) निविदा दिनांक **29.05.2026** को **15:00** बजे तक ऑन लाईन जमा कर सकेंगे। **(2)** पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखें। **1017/26 (MG)**

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

उत्तर मध्य रेलवे

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबंधक /कार्य/ झाँसी निम्नलिखित कार्य हेतु आनलाईन (ई- टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित करते है।

ई- निविदा सूचना संख्या : झाँसी-इन्जी0-एन- 2026-100

कार्य का नाम : शिफ्टिंग ऑफ़ ओएचई डिपो एंड टावर वैगन साइडिंग फ्रॉम धौलपुर टू मुरैना फॉर बेटर मोबिलिटी ऑफ़ टावर वैगन / स्टाफ।

अनुमानित लागत रू.: 37638417.53 | **अमानत राशि : 752800.00**

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथि : 12 माह

निविदा बन्द होने की तिथि : 28/05/2026 at **15:00 hrs.,** • निविदा दिनांक 28/05/2026 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा कर सकेंगे। पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखें। **1019/26 (D)**

North central railways @ CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग सूचना/सूचनाओं की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना/सूचनाओं की विषय-वस्तु नीचे उद्धत है:

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता संपत्ति धारकों का नाम, जैसा भी मामला हो	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि 13 (2) और टोटल O/s
1	**लैनः 604339211848411 और 604339511950155** **1. दुर्गेश बांदिल** **2. क्लेनटन बैंडिल** **पताः झंडा चौक सदर बाजार मुरैना मध्य प्रदेश 476001**	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा पुराने मकान सं.58/25 और वर्तमान मकान सं.84/27 से मिलकर बना है, जो सर्वे सं.69/4/3 का हिस्सा है। यह गांव शिकारपुर में वार्ड सं.32 (नया वार्ड) और 27 (पुराना वार्ड) में स्थित है। यह गणेशपुरा हाई स्कूल सं. 2 के पास है। तहसील और जिला मोरेना, म.प्र. में स्थित इस संपत्ति का क्षेत्रफल 758.10 वर्ग फुट है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में रंजना राठौर का मकान, पश्चिम में सड़क और फिर हाई स्कूल, उत्तर में रामजीलाल का मकान, और दक्षिण में राजेंद्र यादव का मकान।	13-04-2026 रु. 27,07,235.03 (सत्ताईस लाख सात हजार दो सौ पैंतीस और तीन पैसे मात्र) 09.04.2026 तक एनपीए दिनांकः 07-04-2026

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि **एसएमएचएफसी** एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो **एसएमएचएफसी** सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। **एसएमएचएफसी** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएचएफसी** को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य **एसएमएचएफसी** को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएचएफसी** को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को **एसएमएचएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

स्थान : मुरैना, मध्य प्रदेश
दिनांक : 13.04.2026